राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2929/2015

मदन लाल शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा जयपुर जोन, जयपुर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक (द्वितीय) अलवर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 14.12.2015
आदेश की दिनांक : 21.08.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 30.10.2015 को अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बुर्जा, अलवर में नियमित कार्य करने दिया जाए और वेतन आदि का समस्त लाभ प्रदान किया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर हुई थी और दिनांक 01.07.1988 को वह स्थायी किया गया। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 25.09.2009 के द्वारा अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर पदोन्नत किया गया। अपीलार्थी प्रारंभिक सेटअप के विरूद्ध कार्य कर रहा है और उसी के विरूद्ध वेतन आहरण भी कर रहा है, परंतु उससे कनिष्ठ कार्मिक को अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर पदोन्नत कर दिया गया लेकिन आदेश दिनांक 30.10.2015 के द्वारा अपीलार्थी को पुनः अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर पदस्थापित कर दिया गया, जो नियम विरूद्ध है। जबकि उक्त आदेश जारी करने में जिला शिक्षा अधिकारी सक्षम

अधिकारी नहीं है और अपीलार्थी ने माध्यमिक में स्थायी समावेश होने हेतु कोई विकल्प नहीं दिया, फिर भी उसे नियम विरूद्ध तरीके से प्रत्यावर्तन कर अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर पदस्थापित कर दिया गया।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 30.10.2015 को अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बुर्जा, अलवर में नियमित कार्य करने दिया जाए और वेतन आदि का समस्त लाभ प्रदान किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर के आदेश दिनांक 25.09.2009 के द्वारा अपीलार्थी को वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पातेय वेतन पर 6 माह या डीपीसी से आशार्थी उपलब्ध होने तक (जो भी पहले हो) के लिए उप शासन सचिव महोदय के आदेश दिनांक 18.09.2009 एवं निदेशालय के आदेश दिनांक 18.09.2009 की अनुपालना में पदस्थापित किया गया था, जिसको की पदोन्नति नहीं कहा जा सकता, यह आदेश दिनांक 25.09.2009 अपीलार्थी ने स्वयं ने अपील के साथ अनुलग्नक–2 के साथ प्रस्तुत किया है, तत्पश्चात् उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर के आदेश द्वारा उक्त वर्णित आदेश दिनांक 25.09.2009 में संशोधन किये गये। चूंकि अपीलार्थी एवं अन्य तृतीय श्रेणी अध्यापकों को जिनको कि पातेय वेतन पर अस्थाई रूप से व.अ. के पद पर पदस्थापित किया गया था, उनको छात्रहित एवं विद्यालय व्यवस्था हेतु पुनः उनके नियमित पद पर पदस्थापित किये जाने के आदेश क्रमांक 1270 दिनांक 30.10.2015 जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक द्वितीय, अलवर द्वारा जारी कर अपीलार्थी का उसके नियमित पद तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापक के पद राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बुर्जा में ही पदस्थापित/समायोजित कर दिया। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक द्वितीय, अलवर द्वारा प्रसारित उक्त आदेश दिनांक 30.10.2015 शिक्षा उप निदेशक (माध्यमिक) जयपुर संभाग, जयपुर के दिनांक 27.10.2015 की अनुपालना में जारी किये गये। इस प्रकार प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जो कार्यवाही की गयी वह छात्रहित एवं विद्यालय व्यवस्था अनुसार सही की गयी है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर हुई थी और दिनांक 01.07.1988 को वह स्थायी किया गया। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 25.09.2009 के द्वारा अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर पदोन्नत किया गया। जहां तक अपीलार्थी को विभाग के आदेश दिनांक 30.10.2015 के द्वारा प्रत्यावर्तित कर पुनः अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर पदस्थापित किए जाने का प्रश्न है, आदेश दिनांक 25.09.2009 के अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी को वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पातेय वेतन पर 6 माह या डीपीसी से आशार्थी उपलब्ध होने तक (जो भी पहले हो) के लिए उप शासन सचिव महोदय के आदेश दिनांक 18.09.2009 एवं निदेशालय के आदेश दिनांक 18.09.2009 की अनुपालना में पदस्थापित किया गया था, जिसे पदोन्नति नहीं कहा जा सकता क्योंकि उक्त पद के कार्मिक उपलब्ध न होने के कारण विभाग द्वारा छात्रहित में व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ समय के लिए पातेय वेतन पर पदस्थापित किए गए थे। इस प्रकार हमारे मत में अपीलार्थी उक्त पद पर पदस्थापित/पदोन्नति का अधिकार नहीं रख सकता। अतः अपीलार्थी के इस तर्क में कोई बल प्रकट नहीं होता है। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद् द्वारा खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य